पटना में दिनांक–13.09.2011 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग

1. बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेष्टा (पुलिस उपाधीक्षक स्तर) को प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना–2010 की स्वीकृति।

1. स्वीकृत।

गृह (विशेष) विभाग

2. राज्य में निजी सुरक्षा अभिकरण के विनियमन हेतु भारत के राजपत्र में दिनांक–23 जून, 2005 को प्रकाशित निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम–29) की धारा–25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा बनायी जाने वाली बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियमावली, 2011 की स्वीकृति के संबंध में।

2. स्वीकृत।

मानव संसाधन विकास विभाग

3. वित्तीय वर्ष 2011–12 में योजनान्तर्गत दक्षिण भारतीय भाषा संस्थान, पटना के कर्मचारियों का माह मार्च, 2011 से माह फरवरी, 2012 तक का वेतनादि एवं संस्थान के शिक्षण कार्य, सेमिनार, कार्यालय व्यय, संगोष्ठी तथा मकान भाड़ा आदि हेतु रू० 20,79,348/–(बीस लाख उनासी हजार तीन सौ अड़तालीस) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।

3. स्वीकृत।

मानव संसाधन विकास विभाग

4. बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद् (निरसन) अधिनियम 2007, की धारा–3 के उप धारा (2) के आलोक में भंग किये गये बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों के सेवा समायोजन के संबंध में।

4. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

5. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों के 9374 आंगनबाड़ी केन्द्रों में एक चापाकल की दर से 9374 चापाकलों के निर्माण हेतु रू० 4177.803 लाख (एकतालीस करोड़ सतहत्तर लाख अस्सी हजार तीन सौ रूपये मात्र) की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति।

5. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

6. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों में 105938 साधारण चापाकल, 7600 भू–जल स्तर में गिरावट के कारण बंद साधारण चापाकलों का रिहैबलीटेशन/रेजुवेनेशन, 5095 चापाकल (इंडिया मार्क–III पम्प के साथ), 3148 इंडिया मार्क– III /मार्क– II पम्प में राईजर पाईप बढ़ाने/बदलने का कार्य तथा 3148 ड्रिल्ड चापाकलों का प्लेटफार्म एवं नाली के साथ साधारण मरम्मति अर्थात् कुल 124929 चापाकलों की साधारण मरम्मति हेतु रू० 2047.288 लाख (बीस करोड़ सैंतालीस लाख अठाईस हजार आठ सौ रूपये मात्र) की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति।

6. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

7. श्री रामबली राम रंजन, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीवान को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में।

7. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

8. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत बिहार राज्य के 30 जिलों में आंशिक आच्छादित टोलों के आच्छादन हेतु 18470 नये चापाकलों के निर्माण के लिए रू० 8264.34 लाख (बेरासी करोड़ चौंसठ लाख चौंतीस हजार रूपये मात्र) की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति।

8. स्वीकृत।

विधि विभाग

9. उच्च न्यायिक सेवान्तर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कुल 219 (दो सौ उन्नीस) पदों का गैर योजना मद में अस्थायी रूप से सृजन के फलस्वरूप इनके निमित्त अराजपत्रित कर्मचारियों (वर्ग–3 एवं वर्ग–4) के पदों का गैर योजना मद में 438 (चार सौ अड़तीस) बेंच क्लर्क/ऑफिस क्लर्क, 219 (दो सौ उन्नीस), स्टेनोग्राफर, 219 (दो सौ उन्नीस) डिपोजीशन राईटर एवं 438 (चार सौ अड़तीस) अर्दली पियून/ऑफिस पियून कुल 1314 (एक हजार तीन सौ चौदह) पदों का गैर योजना मद में अस्थायी रूप से सृजन (जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लिए अस्थायी रूप से सृजित 219 पदों के सहविस्तारी (Conterminus)होगा) के संबंध में।

9. स्वीकृत।

विधि विभाग

10. माननीय मंत्री, विधि, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के लिए वाहन चालक का दो पद सृजित करने के संबंध में। **10. स्वीकृत।**

विधि विभाग

11. विधि विभाग में ''बिहार स्टेट लीटीगेशन सेल'' के गठन के निमित्त आवश्यक राजपत्रित/अराजपत्रित अस्थायी पदों के सृजन के संबंध में। **11. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

12. राज्य के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के स्थापना तथा मुफस्सिल स्थापना के Common Category के समूह 'घ' के विभिन्न पदों के पदनाम में परिवर्त्तन। **12. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

13. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पैथोलॉजी विभाग में सह–प्राध्यापक के पद पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षक को प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति देने हेतु प्रस्ताव। **13. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

14. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में शिशु रोग विभाग में सह–प्राध्यापक के पद पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षक को प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति देने हेतु प्रस्ताव। **14. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

15. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में औषधि विभाग में सहायक–प्राध्यापक के पद पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को सह–प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति देने हेतु प्रस्ताव। **15. स्वीकृत।**

गृह विभाग

(अभियोजन निदेशालय)

16. श्री राजेन्द्र मिश्र, सेवानिवृत कनीय प्रवर कोटि सहायक लोक अभियोजक (वेतनमान 2400–4150 रू०) को वरीय प्रवर कोटि सहायक लोक अभियोजक (वेतनमान 3000–4500 रू०) के पद पर प्रोन्नति की स्वीकृति। **16. स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

17. बिहार प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) संवर्ग नियमावली, 2008 के नियम–7 में संशोधन। **17. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

18. चंदन जलाशय योजना के अंतर्गत बबुरा शाखा नहर एवं हरना शाखा नहर के तटबंधों का सुदृढ़ीकरण, संरचनाओं का विस्तारीकरण एवं सेवापथ के पक्कीकरण कार्य की प्राक्कलित राशि 2924.00 लाख रू० (उनतीस करोड़ चौबीस लाख रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति। **18. स्वीकृत।**

गृह विभाग

(आरक्षी)

19. मॉडल थाना, पुलिस आवासीय भवनों एवं बैरक के निर्माण हेतु 13 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि ` 106.00 करोड़ (एक सौ छः करोड़ रू०) के कार्य योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं कार्यारंभ करने हेतु ` 800.00 लाख (आठ करोड़ रू०) विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में। **19. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

20. वित्तीय वर्ष 2011–12 में बागवानी विकास कार्यक्रम का कुल 167.76 करोड़ रूपये (केन्द्रांश–50.68 करोड़ रू० एवं राज्यांश–117.08 करोड़ रू०) की लागत पर योजना कार्यान्वयन, बागवानी विकास के कतिपय मदों में केन्द्रीय योजनाओं के प्रावधानों के अतिरिक्त राज्यांश से अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति तथा बागवानी से संबंधित केन्द्रीय योजनाओं में शामिल भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अतिरिक्त मुख्यमंत्री बागवानी मिशन तथा विशेष उद्यान फसल कार्यक्रम के लिए शत प्रतिशत राज्यांश मद से अतिरिक्त भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम की स्वीकृति। **20. स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

21. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC) – लोहिया स्वच्छता योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले (BPL) परिवारों, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन बसर करने वाले (APL) परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण एवं संविदा के आधार पर इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 5 वर्ष के लिए कर्मियों को रखने हेतु 1465.9637 करोड़ (चौदह सौ पैंसठ करोड़ छियान्वे लाख सैंतीस हजार) रू० राज्यांश की राशि पर स्वीकृत योजना को भारत सरकार के नये मार्गदर्शिका के आलोक में BPL परिवारों के लिए राज्यांश मद से शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि 700/–रू० से बढ़ाकर 1000/–रू० देने के उद्देश्य से 1582.8245 करोड़ (पन्द्रह सौ बेरासी करोड़ बेरासी लाख पैंतालीस हजार) रू० पर पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति।

21. इस निदेश के साथ स्वीकृत कि लोहिया स्वच्छता योजना अंतर्गत देय अनुदान की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव अलग से लाया जाए।

स्वास्थ्य विभाग

22. राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में रोगियों को पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल जाँच निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

22. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

23. 93.1487 करोड़ (तिरानवे करोड़ चौदह लाख सतासी हजार) की लागत पर बहुमंजिले भवन, जवाहर लाल नहेरू मार्ग, पटना के निर्माण से संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने,
(ii) इस भवन को संयुक्त नियोजन भवन नामित करने तथा
(iii) इससे संबंधित परियोजना का विस्तृत वास्तुविदिय सेवा एवं विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु चयनित वास्तुविद परामर्शी को 2% (दो प्रतिशत) (सेवा शुल्क अतिरिक्त) परामर्शी शुल्क के आधार पर चयन की स्वीकृति के संबंध में।

23. स्वीकृत। भवन का नाम 'नियोजन भवन' होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग

24. उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग बिहार, पटना को वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए गैर योजना मद में सहायक अनुदान के रूप में 25,00,000.00 (पच्चीस लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में।

24. स्वीकृत।